95

संख्या 306/XIII-I/2014-5(42)2005 भाग-2

प्रेषक,

डा०रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2014

विषयः-सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन रिफार्म आतमा योजनान्तर्गत सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-कृ०नि०/9383/आतमा स्था०/2013-14, दिनांक 30.01.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, शासनादेश संख्या-740/XIII-I/2011-3(13)2010 दिनांक 18.08.2011 द्वारा सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म योजना (आतमा) के अन्तर्गत सृजित निम्नलिखित 148 अस्थाई पदों की तथा शासनादेश संख्या-242/XIII-I/2013-3 (13)2010 दिनांक 14.02.2013 द्वारा सृजित 14 पदों कुल 162 पदों की दिनांक 01.03.2014 से दिनांक 28.02.2015 अथवा योजना के बने रहने की अवधि तक जो भी पहले हो तक पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने की इस शर्त के साथ कि बशर्ते इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, निम्न विवरणानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	स्तर	पदनाम	संविदा/प्रतिनियुक्ति	पदों की संख्या	वेतनमान/मानदेय
1	राज्य	राज्य समन्वयक	संविदा	01	₹ 30000
		लेखाकार	संविदा/प्रतिनियुक्ति	01	₹ 9300-34800, ग्रेड पे-4200
2	जनपद	परियोजना निदेशक	प्रतिनियुक्ति/सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से	13	₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन 6600 वेतन संरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। अधिकतम अवधि 3 वर्ष सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा ₹ 24,000 मासिक मानदेय
		उप परि० निदेशक	प्रतिनियुक्ति/सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से	26	₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 वेतन संरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। अधिकतम अवधि 3 वर्ष सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा ₹ 22,000 मासिक मानदेय

		लेखाकार	संविदा / प्रतिनियुक्ति	13	₹ 9300–34800, ग्रेड पे–4200
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से	13	₹ 8,000 मासिक मानदेय
3	ब्लाक	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से	95	₹ 17,000 मासिक मानदेय
योग–				162	

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनायें–01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–03 राज्यों के प्रसार कार्यक्रमों की विस्तार योजना (90 प्रतिशत के०स०)–42 अन्य व्यय मानक मद से किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–108(एन०पी०) / XXVII–4 / 2014 दिनांक 31 मार्च 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा(रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 306 / XIII-I / 2014–5(42)2005 भाग–2 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1, / 105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (ए एण्ड ई) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
3. संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव